ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का योगदान

डॉ सरोज

एसोशिएट प्रोफेसर -हिन्दी विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

सारांश

हमारे देश के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र-पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। आजादी के आन्दोलन में भाग ले रहा हर आम-ओ-खास कलम की ताकत से वाकिफ था। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे आला दर्जे के लीडर सीधे-सीधे तौर पर पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और नियमित लिख रहे थे। जिसका असर देश के दूर-सुदूर गांवों में रहने वाले देशवासियों पर पड़ रहा था। अंग्रेजी सरकार को इस बात का अहसास पहले से ही था, लिहाजा उसने शुरू से ही प्रेस के दमन की नीति अपनाई।
भारत में पत्रकारिता की नींव अठाहरवीं सदी में, कंपनी शासनकाल में एक अंग्रेज जॉन्स आगस्टक हिक्की ने रखी थी। अपने अखबार के जरिए हिक्की ने उस समय कंपनी के भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किए। जिसके एवज में उस पर मुकदमा चला और कारावास भी भुगतना पड़ा।

राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किए और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की।
राजा राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किए। जिसमें अहम हैं-साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई।
30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अपने समय का यह खास समाचार पत्र था, मगर आर्थिक परेशानियों के कारण यह जल्दी ही बंद हो गया। आगे चलकर माहौल बदला और जिस मकसद की खातिर पत्र शुरू किए गए थे, उनका विस्तार हुआ।

समाचार सुधा वर्षण, अभ्युदय, शंखनाद, हलधर, सत्याग्रह समाचार, युद्धवीर, क्रांतिवीर, स्वदेश, नया हिन्दुस्तान, कल्याण, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, बुन्देलखण्ड केसरी, मतवाला जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र तो सरस्वती, विप्लव, अलंकार, चांद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रांति, बलिदान, वालिंट्यर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में सोये हुए वतनपरस्ती के जज्बे को जगाया और क्रांति का आह्वान किया। नतीजतन उन्हें सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा। दमन, नियंत्रण के दुष्चक्र से गुजरते हुए उन्हें कई प्रेस अधिनियमों का सामना करना पड़ा।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

परिचय

राजा राममोहन राय

हिंदी पत्रकारिता की शुरूआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय (Raja Ram Mohan roy father of indian journalism) को दिया जाता है।

'वर्तमान पत्र' में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखा 'राजनीतिक भूकम्प' शीर्षक लेख, 'अभ्युदय' का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, 'नया हिन्दुस्तान' के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और फासीवादी विरोधी लेख, 'स्वदेश' का विजय अंक, 'चांद' का अछूत अंक, फांसी अंक, 'बलिदान' का नववर्षांक, 'क्रांति' के 1939 के सितम्बर, अक्टूबर अंक, 'विप्लव' का चंद्रशेखर अंक अपने क्रांतिकारी तेवर और राजनैतिक चेतना फैलाने के इल्जाम में अंग्रेजी सरकार की टेढ़ी निगाह के शिकार हुए और उन्हें जब्ती, प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। संपादकों को कारावास भुगतना पड़ा। भारतीय पत्रकारिता की स्वाधीनता को बाधित करने वाला पहला प्रेस अधिनियम गवर्नर जनरल वेलेजली (Governor General Wellesley) के शासनकाल में 1799 को ही सामने आ गया था। भारतीय पत्रकारिता के आदिजनक जॉन्स आगस्टक हिक्की के समाचार पत्र 'हिक्की गजट' ('Hickey Gazette' newspaper of John Augustus Hickey, the father of Indian journalism) को विद्रोह के चलते सर्वप्रथम प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हिक्की को एक साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा हुई।[1,2]
कालांतर में 1857 में गैगिंक एक्ट, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1908 में न्यूज पेपर्स एक्ट (इन्साइटमेंट अफैंसेज), 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, 1930 में इंडियन प्रेस ऑर्डिनेंस, 1931 में दि इंडियन प्रेस एक्ट (इमरजेंसी पावर्स) जैसे दमनकारी कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के उद्देश्य से लागू किए गए। अंग्रेजी सरकार इन काले कानूनों का सहारा लेकर किसी भी पत्र-पत्रिका पर चाहे जब प्रतिबंध, जुर्माना लगा देती थी। आपत्तिजनक लेख वाले पत्र-पत्रिकाओं को जब्त कर लिया जाता। लेखक, संपादकों को कारावास भुगतना पड़ता व पत्रों को दोबारा शुरू करने के लिए जमानत की भारी भरकम रकम जमा करनी पड़ती। बावजूद इसके समाचार पत्र संपादकों के तेवर उग्र से उग्रतर होते चले गए। आजादी के आन्दोलन में जो भूमिका उन्होंने खुद तय की थी, उस पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। जेल, जब्ती, जुर्माना के डर से उनके हौसले पस्त नहीं हुए।
बीसवीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक में सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता का रोल निभाया।

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

कानपुर से 1920 में प्रकाशित 'वर्तमान' ने असहयोग आन्दोलन को अपना व्यापक समर्थन दिया था। पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' उग्र विचारधारा का हामी था। अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदनमोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेख (Articles of Pandit Jawaharlal Nehru) प्रकाशित हुए। जिसके परिणामस्वरूप इन पत्रों को प्रतिबंध-जुर्माना का सामना करना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप', सज्जाद जहीर एवं शिवदान सिंह चौहान के संपादन में इलाहाबाद से निकलने वाला 'नया हिन्दुस्तान' राजाराम शास्त्री का 'क्रांति' यशपाल का 'विप्लव' अपने नाम के मुताबिक ही क्रांतिकारी तेवर वाले पत्र थे। 'नया हिन्दुस्तान' और 'विप्लव' के जब्तशुदा प्रतिबंधित अंकों को देखने से इनकी वैश्विक दृष्टि का पता चलता है। फासीवाद के उदय और बढ़ते साम्राज्यवाद, पूंजीवाद पर चिंता इन पत्रों में साफ देखी जा सकती है।

विचार – विमर्श

गोरखपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र 'स्वदेश' को अपने उग्र विचारों और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण अंग्रेजी सरकार की कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा संपादित 'चांद' के फांसी अंक की चर्चा भी जरूरी है। यह अंक क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ है। अंग्रेज हुकूमत एक तरफ क्रांतिकारी पत्र-पत्रिकाओं को जब्त करती रही, तो दूसरी तरफ इनके संपादक इन्हें बिना रूके पूरी निर्भिकता से निकालते रहे।

मौजूदा दौर में जब मीडिया की आम जनता से लगभग संवादहीनता की स्थिति है। प्रतिबद्धताएं बदल गई हैं। ऐसे माहौल में स्वाधीनता आन्दोलन के दौर की पत्रकारिता न सिर्फ हमें गहरे सरोकारों से जोड़ती है, बल्कि उस कर्तव्यपथ की भी याद दिलाती है, जिसे हम बिसरा चुके हैं।[3,4]

१८५७ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय जनता में उद्वेलन की स्थिति थी। वह अपना अधिकार समझने का धीरे-धीरे प्रयास करने लगी थी, परन्तु अंग्रेजी शासकों के चाबुक के चलते असहाय थी। उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। समाचार पत्र तो निकलने लगे थे, लेकिन हिंदी प्रदेश की जनता उससे अनभिज्ञ थी। ऐसे समय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी आयु के १७ वें वर्ष अर्थात १८६७ में कविवचन सुधा,१८७३ में हरिश्चन्द्र मैगजीन, १८७४ में हरिश्चन्द्र चन्द्रिका और हिन्दी की पहली महिला पत्रिका बालाबोधिनी का प्रकाशन कर समाज को जो आईना दिखाने का काम किया वह अपने आप में अद्‌भुत व अविस्मरणीय है। उनकी पहल से हिन्दी भाषा ही संपुष्ट नहीं हुई, वरन् स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हुई।

यह काल ऐसा था जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ बोलना व लिखना मना था। गोरों की शासन व्यवस्था लोगों पर कहर बरपाने से चूकती नहीं थी। ऐसे समय में भारतेन्दु बाबू ने सुधा के माध्यम से निज भारत के स्वत्व की ओर संकेत कर 'नर नारि सम होहिं' की आवाज बुलन्द की। इतना ही नहीं भारतेन्दु जी ने लेखकों का एक समूह तैयार कर लोगों में देश के प्रति चेतना जगाने व हिन्दी भाषा के उत्थान का कार्य किया।

भारतेन्दु बाबू की प्रेरणा से प्रयाग से पण्डित बालकृष्ण भट्ट ने सितंम्बर १८७७ में 'हिन्दी प्रदीप' का प्रकाशन किया। अनवरत निकलने वाली इस पत्रिका में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ लेख व अन्य सामग्रियां छपा करती थीं। १९०८ में माधव की एक रचना बन्दर सभा महाकाव्य प्रकाशित हुई, जिसमें अंग्रेजों को बन्दर की तरह बताया गया था। इस कविता से अंग्रेज शासक कुपित हो गए और कार्रवाई की नोटिस दे डाली। भट्ट जी ने किसी तरह जवाब देकर 'हिन्दी प्रदीप' को मुक्त कराया। इसी के फिर दो साल बाद माधव की एक रचना छपने के लिए आई, जिसका स्वर कर्कश था। इसका शीर्षक था 'बम क्या है।' इस रचना से अंग्रेज इतने कुपित हुए कि 'हिंदी प्रदीप' पर तीन हजार रुपये जुर्माना कर दिया। न देने पर हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे डाला। इतना धन न होने के कारण भट्ट जी ने 'हिंदी प्रदीप' को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हिन्दी प्रदीप ने जो लेखकों को राह दिखाई, वह भारत के इतिहास में अमरता कायम कर गई।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

परिणाम

१९ वीं सदी के अंत तक राष्ट्रीय चेतना मुखर होने लगी थी। ऐसे समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकलने वाले पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'इण्डियन प्रेस' प्रयाग से प्रमुख साहित्यिक पत्रिका का प्रथमांक निकला। जुलाई १९०३ के अंक में 'सरस्वती' ने स्वदेशी की भावना को पुष्ट करते हुए लिखा-

'अपना बोया आप ही खावें।
अपना कपड़ा आप बनावें॥
'सरस्वती' ने नवम्बर १९०६ में लिखा –
'हे भामिनिओं, कुलकामिनियों
ये चूड़िया हैं परदेशियों की।
कलंक भारी पहनो इन्हें जो,
छोड़ो, जरा तो मन में लजाओ॥

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता राजनीतिक दृष्टिकोण से बाल गंगाधर तिलक से पूर्णत: प्रभावित हो चली थी। उनके विचार पनपते जा रहे थे। मिर्जापुर निवासी बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन ने १९०० ईस्वी में आनन्द कादम्बिनी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया। चौधरी जी बड़े ही निर्भीक थे। उन्होंने १९०८ के अंक में लिखा-'हाय भारत की रत्नगर्भा वसुंधरा तेरी यह कैसी दुर्दशा है। १९ वीं शताब्दी में जबसे यहां शासन पुष्ट और विस्तृत हुआ, मुश्किलों की संख्या भी क्रमश: बढ़ चली। तीसरे भाग में ६ बार अकाल पड़ा और ५० लाख मनुष्य भूख से छटपटा कर मर गए।' इसी लेख में आगे उन्होंने अपनी वेदना उजागर करते हुए सरकार की जमकर खिंचाई की है।[5,6]

१९०० ईस्वी में ही गोपाल दास गहमरी ने गाजीपुर से जासूस निकाला। यह पत्र बनारस से छपता था। उन्होंने इस पत्र में लिखा-'डरिये मत यह कोई भकौआ नहीं है। धोती सरका कर भागिये मत, यह कोई सरकारी सीआईडी नहीं है।'

शांति नारायण भटनागर ने प्रयाग से १९०७ ईस्वी में स्वराज्य नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसी साल वसंत पंचमी को अभ्युदय भी महामना मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से निकला। इन दोनों पत्रों का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। १ सितम्बर १९०९ को प्रयाग से पण्डित सुन्दरलाल ने कर्मयोगी निकाला। यह साप्ताहिक पत्र था, जो बड़ा ही तेजस्वी था। अंग्रेज विरोधी नीति के कारण इस पत्र से १९१० में जमानत मांगी गई। सम्पादक को राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। फलत: कर्मयोगी बंद हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से गोरखपुर से १९१९ में स्वदेश निकला। इसके सम्पादक दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। यह गजब का पत्र था। इसकी तेजस्विता का नमूना देखें-

'स्वर्ग लाभ के लिए
आत्मबलि हम नहीं करेंगे।
जिस प्रदेश में जिए
उसी पर सदा मरेंगे॥

बीसवीं सदी के दूसरे दशक में भारतीय राजनीति पर महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ने लगा। इस दौरान काशी से 'आज' दैनिक का प्रकाशन महती उपलब्धि है। यह पत्र ५ सितम्बर १९२० को ज्ञान मण्डल यंत्रालय से निकला। प्रारम्भ में इसके सम्पादक श्रीप्रकाश जी थे। बाद में बाबूराव विष्णु पराड़कर ने सम्पादक पद की कमान संभाली। आज का उद्देश्य था गांधी के पदचिह्नों पर चलते हुए भारत को स्वतंत्र कराना। यह समाचार पत्र अंग्रेज सरकार की आंखों का छर्रा था। १९३० के नमक आंदोलन, १९४२ में भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा कई मौकों पर इसे अंग्रेजी सरकार ने बंद कर अपनी कुदृष्टि का परिचय दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचन्द का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुंशी जी ने काशी से १९३० में साहित्यिक पत्र हंस का प्रकाशन किया। इसका उद्देश्य हिन्दी को समृद्ध बनाने के अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम में योग देना भी था। नमक आंदोलन के समय हंस को भी बंदी का मुंह देखना पड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम में काशी से प्रकाशित संसार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यह दैनिक पत्र था। इसका स्वर उग्र था। इसके १९४३ से १९४५ तक सम्पादक बाबूराव विष्णु पराड़कर भी रहे।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

महामना मालवीय
महामना मदनमोहन मालवीय ने हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान के लिए पत्रकारिता को हथियार बनाया। इनका पत्रकार जीवन प्रतापगढ़ के कालाकांकर से निकलने वाले हिन्दोस्थान से प्रारम्भ हुआ, परन्तु इसके बाद भी उन्होंने इलाहाबाद से १९०७ में अभ्युदय, १९०९ में लीडर का सम्पादन किया। उनकी प्रेरणा से महिलाओं की पत्रिका मर्यादा भी निकली। लीडर का हिन्दी संस्करण भारत भी निकाला। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सनातन धर्म प्रकाशित किया। कहीं न कहीं से इन पत्रों का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योग देना ही था।

रणभेरी
१९३० के नमक आंदोलन के समय देश के अधिसंख्य पत्र बंद कर दिए गए। काशी से आज का प्रकाशन भी बंद हो गया तो यहां के बुद्धिजीवियों व क्रांतिकारियों ने गुप्त पत्र रणभेरी का प्रकाशन कर समाचार पत्र प्रकाशन की निरंतरता बनाए रखी। रणभेरी फुलस्केप साइज का पत्र था। इसकी भाषा उग्र थी। रोज स्थान बदलकर प्रकाशित होता रहता था। लाख प्रयास के बाद भी अंग्रेजी सरकार इसके प्रकाशन का पता नहीं लगा पाई। पराड़कर जी जैसे सम्पादकों के सहयोग व कुशल रणनीति से इस पत्र का प्रकाशन सफल हो पाया। रणभेरी में प्रकाशित सम्पादक व प्रकाशक का नाम फर्जी होता था। रणभेरी के अतिरिक्त रणडंका, तूफान, चण्डिका आदि गोपनीय पत्र भी प्रकाशित हुए, लेकिन रणभेरी का नाम सर्वोपरि था। इस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।[7,8]

निष्कर्ष

भारत के पत्रकार मूलतः जनता का प्रतिनिधि मानकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे। यदि सही ढंग से आँका जाए तो स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पत्रों एवं पत्रकों ने ही तैयार की, जो आगे चलकर राजनेताओं एवं स्वतंत्रता संग्रामियों को पहले पत्रकार बनने के लिए प्रेरित किया। पं, बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद आदि सभी पत्रकारिता से संबद्ध रहे।
कांग्रेस भी जब दो विचारों में विभाजित हुई, उस समय भी गरम दल का दिशा-निर्देश 'भारतमित्र', अभ्युदय', 'प्रताप', 'नृसिंह', केशरी एवं रणभेरी आदि पत्रों ने किया तथा नरम दल का 'बिहार बंधु', 'नागरीनिरंद', 'मतवाला', 'हिमालय' एवं 'जागरण' ने किया।

पत्रकारों के संघर्ष का युग
भारतेंदु युग मात्र साहित्यिक युग ही नहीं, अपितु स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय जागरण का युगबोध करानेवाला युगदृष्टा का युग था। महात्मा गांधी के लिए यही प्रेरक युग कहा जाना पत्रकारिता का शाश्वत सत्य होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए राजनेताओं को जितना संघर्ष करना पड़ा, उससे तनिक भी कम संघर्ष पत्रों एवं पत्रकारों को नहीं करना पड़ा। बुद्धिजीवी, ऋषियों की मौन साधना, तपस्या और त्याग इतिहास की धरोहर है, जिसे मात्र साहित्य तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहूति करनेवालों को शृंखलाबद्ध समूह के रूप में भी माना जाना चाहिए।

तकनीकी रूप में प्रारंभिक पत्रकार स्वयं रिपोर्टर, लेखक, लिपिक, प्रूफरीडर, पैकर, प्रिंटर, संपादक एवं वितरक भी थे। क्रूरता, अन्याय, क्षोभ, विरोध, क्लेश, संज्ञास एवं गतिरोध उनकी दिनचर्या थी, फिर भी वे अटल थे, अडिग थे, क्योंकि उनके समक्ष एक लक्ष्य था। वे देशभक्त थे। देशभक्त के समक्ष सभी अवरोधों, प्रतिरोधों एवं बाधक विचारों का खंडन उनका उद्देश्य था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों के समक्ष सरकारी सहायता कौन कहे, साधारण सहिष्णुता भी उपलब्ध नहीं, जो आज सर्वत्र दृष्टव्य है। भले ही इनकी दिशाविहीनता के कारण उन आदर्शों के निकट नहीं है। उस समय न नियमित पाठक थे, न नियमित प्रेस अथवा प्रकाशन। मुद्रण के लिए दूसरे प्रेसों के समक्ष हाथ-पाँव जोड़कर चिरौरी करनी पड़ती थी, ताकि कुछ अंक निकल पाएँ। ग्राहकों और पाठकों की स्थिति यह थी कि महीनों-महीना पत्र मँगाते थे और पैसा माँगने पर वे वापस कर देते थे। ऐसी स्थिति में प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओं में प्रार्थना, तगादा, चेतावनी औऱ धमकियों के लिए कतिपय शीर्षकों में प्रकाशन होता था- जैसे 'इसे भी पढ़ लें' विज्ञापन एवं सूचना के रूप में आदि-आदि।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

उदंड मार्तंड से शुरुआत

निःसंदेह हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र 'उदंड मार्तंड' ३०.०५.१८२६ को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संचालक पं. युगल किशोर थे एवं सन १८९१ को गोरखपुर से मुद्रित 'विद्याधर्म दीपिका' भारत वर्ष की सर्वप्रथम निःशुल्क पत्रिका थी, किंतु आंग्ल महाप्रभुवों के प्रभाव में चल रहे पाठकों के अभाव में यह पत्रिका भी अनियमित होते-होते काल-कवलित हो गई।

भारत वर्ष की पत्रकारिता इसी पृष्ठभूमि में १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अंकुरित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापनोपरांत कई स्वतंत्र व्यापारी भी यहाँ प्रवेश पा चुके थे। ये व्यापारी भारतीय जन जीवन के साथ अपनत्व स्थापित कर स्वतंत्र पत्र-पत्रिका निकालने को तत्पर हुए। विलियम बोल्टस प्रथम व्यापारी था जिसने १७६४ में प्रथम विज्ञापन प्रसारित किया कि 'कंपनी शासकों की गतिविधियों से जन सामान्य को अवगत कराने के लिए वह पत्र निकालना चाहता है। कंपनी इस विज्ञापन को पढ़ते ही उसे देश निर्वासित कर इंग्लैंड वापस भेज दिया। अंग्रेज़ों का पत्र, पत्रिकाओं, पत्रकारों एवं पत्रकारिता के खिलाफ़ दमन का श्रीगणेश यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु वोल्टस द्वारा लगाया हुआ बीज अंकुरित होकर अगस्टस हिकी के हाथों में आकर एक पत्र के रूप में प्रस्फुटित हो गया जिसका नाम पड़ा 'बंगाल गजट एंड कलकत्ता जनरल एडवर टाइज़र' जिसने 'हिकीगजट' के नाम से १७८० में प्रथम पत्र के रूप में जन्म लिया। वारेन हेस्टिंग्स उस समय भारत वर्ष का गवर्नर जनरल था, जो अपने अथवा अपने मंत्रिमंडल के प्रतिकूल एक साधारण आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिकीगजट इसका कटु आलोचक बन गया और फलस्वरूप १४-११-१७८० को प्रथम दमनात्मक प्रहार के रूप में इस पत्रिका को जो डाक से भेजने की सुविधा प्राप्त थी, उसे छीन ली गई। आलोचना तीव्रतर बढ़ती गई, जिसके चलते जेम्स अगस्टस को कारागार में डाल दिया गया और अंततः उसे देश से निर्वासित कर दिया गया। इसी श्रृंखला में एक दूसरे पत्रकार विलियम हुआनी को भी निर्वासित किया गया। अन्य प्रदेशों से भी जो पत्र निकलते थे उनके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया। मद्रास से 'इंफ्रेस' ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए 'इंडिया हेराल्ड' निकालना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए इनको कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया और अंत में इन्हें भी निर्वासित कर इंग्लैंड भेज दिया गया।

प्रेस संबंधी प्रथम कानून

१८वीं शताब्दी के अंत तक लगभग २०-२५ अंग्रेज़ी पत्रों का प्रकाशन हो चुका था जिसमें प्रमुख ते बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे कैरियर, बंगाल हरकारू, कलकत्ता कैरियर, मॉर्निंग पोस्ट, ओरियंट स्टार, इंडिया गजट तथा एशियाटिक मिरर आदि। पत्र-पत्रिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि अंग्रेज़ों की दमनात्मक कार्रवाइयों को भी उसी अनुपात में बढ़ाने के लिए बाध्य करती गई। सन १७९९ में लार्ड वेलसली ने प्रेस संबंधी प्रथम कानून बनाया कि पत्र प्रकाशन के पूर्व समाचारों को सेंसर करना अनिवार्य है तथा अन्य शर्तें इस तरह लागू कर दी गईं।

- (क) पत्र के अंत में मुद्रक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से छापा जाए।
- (ख) पत्र के मालिक एवं संपादक का नाम पता एवं आवास का पूर्ण विवरण सरकारी सेक्रेटरी को दिया जाए।
- (ग) सेक्रेटरी के देखे बिना कोई पाठ्य सामग्री छापी नहीं जाए एवं
- (घ) प्रकाशन रविवार को बंद रखा जाए।

अब तक के सभी पत्र अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित हो रहे थे तथा सभी पत्रों के संपादक भी अंग्रेज़ थे, फिर भी विरोधात्मक स्थिति में केवल इन्हें निर्वासित कर देना ही पर्याप्त दंड माना जाता था। बाद में सरकार के किसी कार्य पर टीका-टिप्पणी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो बेलेसली से लार्ड मिंटो तक चला। भारतीय पत्रकारिता इसे बेहद दुष्प्रभावित हुई। लार्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनते ही उपर्युक्त शर्तों में ढील बरती गई, जिसके अंतर्गत प्रकाशन के पूर्व सेंसर की प्रथा समाप्त करते हुए रविवार को प्रकाशन प्रतिबंध समाप्त कर निम्न आदेश जारी किए गए-

- सरकारी आचरण पर आक्षेप लगानेवाला समाचार नहीं छापा जाए।
- भारतवासियों के मन में शंका उत्पन्न करनेवाला समाचार नहीं छापा जाए।
- धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए।
- ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर आँच आनेवाला समाचार नहीं छापा जाए।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

- व्यक्तिगत दुराचार विषयक कोई चर्चा पत्रों में नहीं की जाए।

भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र

इन शर्तों के बावजूद हेर्स्टिग्स का रवैया उदारवादी था, इसलिए इनका पालन सख्ती से नहीं हो पाया फलतः भारतीय भाषाओं में भी पत्र प्रकाशित होने लगे। इनमें प्रमुख पत्र थे- कलकत्ता जर्नल १८१८, बंगाल गजट १८१८, दिग्दर्शन १८१८, फ्रेंड ऑफ इंडिया १८१९, ब्रह्मनिकल मैग्ज़िन १८२२, संवाद कुमुदिनी १८२२, मिरातुल अखबार १८२२ आदि। इनमें कलकत्ता जर्नल एवं संवाद कुमुदिनी सबसे उग्र थे, क्योंकि उस समय भारतीय जीवन के अग्रदूत के रूप में राजा राममोहन राय नेतृत्व कर रहे थे।

हेस्टिंग्स के अवकाशग्रहण के बाद तथा जॉन आडम के नए गवर्नर जनरल के रूप में आते ही, पत्रों की स्वतंत्रता पुनः समाप्त हो गई और ०४.०४.१८२३ को प्रेस संबंधी नए कानूनों द्वारा ये प्रतिबिंब फिर लगा दिए गएः

- कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह सरकारी स्वीकृति के बिना फोर्ट विलियम के आबादी वाले क्षेत्रों में कोई समाचार पत्र, पत्रिका, विज्ञप्ति अथवा पुस्तक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं करेगा, जिस पर सरकारी नीति एवं कार्य पद्धति पर टीका-टिप्पणी हो।[9,10]
- लाइसेंस प्राप्ति के लिए जो आवेदन पत्र दिए जाएँ उसके साथ शपथ पत्र भी दिया जाए जिसमें पत्र, पत्रिका, पुस्तक, मुद्रक, प्रकाशक एवं प्रेस मालिक का पूर्ण विवरण सहित भवन विवरण भी दिया जाए, जहाँ से प्रकाशन होगा।
- बिना लाइसेंस प्राप्त किए पत्र प्रकाशित पाए जाने पर प्रकाशक को चार सौ रुपया जुरमाना अथवा चार महीने कैद की सज़ा दी जाएगी।
- छापाखाने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य बनाया गया। बिना लाइसेंस के छापाखाने को ज़ब्त कर, मालिक को छह माह का कारावास एवं एक सौ रुपया जुरमाना होगा।
- जिस पत्र का प्रकाशन रोका गया है। उसके वितरक को भी एक हज़ार रुपया जुरमाना तथा दो माह का कारावास का दंड होगा।

इन प्रतिबंधों का पूरे देश में घोर विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप बंगाल का 'मिरातुल अख़बार एवं कलकत्ता जर्नल' की आहुति हो गई। सन १८२८ में विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल का प्रभार लेते ही उपर्युक्त कानून हटाए तो नहीं गए, किंतु कार्यान्वयन में उदारता बरती गई। सन १८३५ में 'सरचार्ल्स मेटकफ' के कार्यभार लेने के बाद भी, वही उदारनीति बरकरार रही और अंततः ०३.०८.१८३५ में इन्हें समाप्त कर दिया गया, किंतु नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए। इस उदार नीति के कारण १८३९ में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या इस तरह हो गई- कलकत्ता मे २६ यूरोपियन पत्र जिनमें नौ भारतीय थे एवं नौ दैनिक, बंबई में दस यूरोपियन पत्र थे तथा चार भारतीय। मद्रास में नौ यूरोपियन पत्र थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली, लुधियाना एवं आगरा से भी पत्र प्रकाशित होने लगे। सरसैयद अहमद खाँ द्वारा १८३९ में ही 'सैयदुल अखवाराय' दिल्ली का पत्र लोकप्रिय हो गया।

इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरे भारत वर्ष में पत्र, पत्रकारों एवं पत्रकारिता का चैतन्यपूर्ण परिवेस सृजित हो गया। लॉर्ड केनिंग ने इस सुलगती आग की गहराई को महसूस कर भारतीय पत्रों पर नियंत्रण के लिए १३.०६.१८५७ को प्रेस संबंधी नए कानून बनाकर सरकारी नियंत्रण बरकरार रखा।

- इंडियन पैनल कोड में संशोधनः लॉर्ड मेकाले द्वारा १८३६ में जो धारा ११० लगाई गई थी उसे १८६० में समाप्त कर दिया गया।
- रेगुलेशन ऑव प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूजपेपर्स एक्ट १८७६ - इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्रों एवं पुस्तकों के प्रकाशन की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। इंडियन पैनल कोड में एक नई धारा जोड़कर आपत्तिजनक लेखकों को दंडित करने का प्रावधान कर दिया गया। इन प्रावधानों का विरोध करनेवाले प्रमुख पत्रों में 'स्टेटसमैन', 'पायोनियर', 'अमृत बाज़ार पत्रिका' तथा 'टाइम्स ऑफ इंडिया' प्रमुख थे।
- गैगिंग प्रेस एक्ट ऑव १८७८- स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम १८५७ के बाद पत्रकारों के बीच नवजागरण उत्पन्न हुआ जो मूलतः भारतेंदु युग का प्रथम चरण बना। इनके नेतृत्व में पत्रकार 'स्व' से निकलकर 'देशहित' में अग्रसर हुए। इस युग के प्रमुख पत्रों में 'बिहार बंधु', 'कविवचन सुधा' हरिश्चंद्र मैगज़िन, ब्राह्मण, 'भारतमित्र', 'सारसुधानिधि' हिंदी 'वंशावली', 'हिंदी प्रदीप' एवं उचित

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 4, Issue 1, January 2015

वक्ता आदि अग्रणी रहे।

- वर्नाकुलर प्रेस एक्ट-१८७८- भारतेंदु युग से प्रस्फुटित उत्साह देखकर अंग्रेज़ घबरा उठे एवं इस कानून द्वारा देशी भाषा के पत्रों के संपादकों, प्रकाशकों एवं मुद्रकों के लिए एक शर्त अनिवार्य कर दी गई कि वे कोई ऐसा प्रकाशन नहीं करें जिससे घृणा एवं द्रोह उत्पन्न हो। अंग्रेज़ी पत्रों को मुक्त रखा गया, किंतु १८८० में लॉर्ड रिपन के आने पर वर्नाकुलर एक्ट ०७.०९.१८८१ में रद्द कर दिया गया। उसकी उदार एवं सुधार नीतियों के कारण सर्वत्र उल्लासपूर्ण वातावरण फैलल गया। सन १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई।
- ऑफिशियल सिक्रेटस एक्ट ऑव १८८९- लार्ड रिपन की उदारता अंग्रेज़ों के लिए असह्य हो उठी। अतः अंग्रेज़ी पत्रों ने सरकार को 'कार्यालय गोपनीय प्रविष्टीकरण' को १७.१०.१८८९ से लागू करने के लिए बाध्य कर दिया। उसके द्वारा किसी योजना का प्रकाशन कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। वस्तुतः योजना का अर्थ राष्ट्रीय जागरण से संबंधित था।
- राजद्रोह अधिनियम १८९८- लार्ड कर्जन के १८९८ में कार्यभार ग्रहण करते ही भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना पुनः प्रारंभ कर दिया गया, क्योंकि अब तक लखनऊ से 'हिंदुस्तानी अवध बिहार' 'विद्या विनोद', एडवोकेट' मेरठ से 'शाहना-ए-हिंदी', 'अनीस-ए-हिंद' इटावा से 'आलवसीर', बरेली से 'युनियन' तथा इलाहाबाद से 'अभ्युदय' आदि राष्ट्रीय स्तर पर शंखनाद कर रहे थे।
- प्रेस एक्ट १९१०- बीसवीं शती के प्रारंभ होते ही विभिन्न घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर झंझावात उत्पन्न कर दिया जिसमें १९०५ का बंगाल विभाजन भी प्रमुख था। सुधार के बहाने सरकार ने विभिन्न समितियों का गठन किया, किंतु १९१० में यह अधिनियम पारित हो ही गया। इसके बाद अंततः १९२२ में यह कानून रद्द कर दिया गया।
- प्रेस एंड अनऑथराइज्ड न्यूजपेपर्स १९३०- वाइसराय इरविन ने देशव्यापी आंदोलन को देखकर इस अध्यादेश को मई-जून से लागू कर १९१० की संपूर्ण पाबंदियों को पुनः लागू कर जमानत की राशि ५०० से बढ़ाकर, हैंडबिल एवं पर्चों पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

प्रेस बिल १९३१- पूरा देश एवं राजनेता 'राउंड टेबुल कान्फ्रेंस में व्यस्त थे और सरकार ने इसी बीच अध्यादेश को कानून के रूप में इसे पेश कर पारित करा लिया। इसके अंतर्गत समाचार एवं पत्रों के शीर्षक, संपादकीय टिप्पणियों को बदलने का भी अधिकार सुरक्षित रख लिया गया।

इसके बाद १९३५ में भारतीय प्रशासन कांग्रेस के हाथ में आ गया और फलतः समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सन १८३९ में द्वितीय युद्ध प्रारंभ होते ही कांग्रेस सरकार को पदत्याग करना पड़ा और पत्रों की स्वतंत्रता पुनः नष्ट हो गई जो १९४७ तक चली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद १९५० में नया कानून बना जिसके द्वारा लगभग सभी प्रतिरोध समाप्त कर दिए गए।[10]

संदर्भ

1) हिन्दी पत्रकारिता (गूगल पुस्तक ; लेखक - कृष्णबिहारी मिश्र)
2) भारतीय पत्रकारिता कोष, खण्ड - २ ; १९०१ - १९४७ (गूगल पुस्तक ; लेखक - विजयदत्त श्रीधर)
3) हिंदी भाषा के विकास में पत्र-पत्रिकाओं का योगदान Archived 2009-07-24 at the Wayback Machine - प्रो. ऋषभदेव शर्मा
4) सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनकी पत्रकारिता - पत्रकारिता (विशेष रूप से हिन्दी पत्रकारिता) पर उत्कृष्ट सामग्री
5) बिहार की साहित्यिक पत्रकारिता - साहित्य और साहित्यिकार (हिन्दी नेस्ट)
6) पत्रकारिता : दुधारी तलवार (महादेव देसाई)
7) हिंदी के विकास में मराठी-भाषी पत्रकारों का योगदान
8) विश्व पत्रकारिता का इतिहास - इसी में हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास भी दिया है।
9) एक नई प्रवासी पत्रकारिता का दौर (आलोक तोमर)
10) हिन्दी पत्रकारिता की भाषा का क्रमिक विकास